



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **कैम्प मोतीशर बड़ा**

पीठासीन अधिकारी :- **राहुल सेनी P.A.S.**

उनवान

**अमोद कुमार शर्मा** बनाम **शहस्रान सरकार**

दावा बाबत **नाम दुरुस्ती U/S 88 RTA**

मुकदमा नम्बर :- **103/2021**

निर्णय दिनांक :- **18-11-2021**

वादी की ओर से **स्वयं** की व प्रतिवादी की ओर से **प्रेमनाथ राव**

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **18-11-2021** को **राहुल सेनी P.A.S.**  
(नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के  
लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

**अनायादी स्वीकार किया जाकर इति मूले रोही राज पोरी स्वयं से,  
209 खसयन, 246, 246/366 व 251 में अंकित खातेदार का नाम अमोद,  
पपु देवी, बाबुदास, बीरदास, सत्य, सन्तुदास शहस्रान पर अमोद कुमार,  
अवरी देवी, बाबुदास, विपथकुमार, सन्तारा, सत्यनारायण अंकित करत का  
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु उक्त अमोद शहस्रान रिपोर्ट में अमल  
दस्तावेज करने के निर्देश दिये जाते हैं। उक्त**  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18-11-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर  
दी गई।

**राहुल सेनी**  
(**राहुल सेनी**)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



**रा.क.** **1151**  
**24-11-21**